अप्रैल 2025-सितंबर 2025

सुरक्षा कवच

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

अंक 4

इस अंक में शामिल

- घरेलू गतिविधियां
  - डीआईसीजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2024-25
  - पंजीकृत बैंक
  - कवरेज
  - जमा बीमा निधि
  - जन जागरूकता
- अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच
  - आईएडीआई के साथ जुड़ाव

संपादक की कलम से

अनूप कुमार
संपादक
मुख्य महाप्रबंधक
डीआईसीजीसी

सेफ्टी नेट (सुरक्षा कवच) के चौथे संस्करण में आपका स्वागत है! यह अंक 2025-26 की पहली छमाही के दौरान की कुछ गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। डीआईसीजीसी ने अपनी पहली जमाकर्ता जागरूकता, शैक्षिक कॉमिक बुक "डीआईसीजीसी: द सेफ्टी नेट" प्रकाशित की है। इसमें पाठकों के लाभ के लिए डीआईसीजीसी मैस्कॉट 'डीआईए -वाइज़ आउल' द्वारा बताई गई सात सरल कहानियाँ हैं। डीआईसीजीसी ने वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की है। जमा बीमा में वैश्विक गतिविधियां और क्षेत्रीय समूहों की तुलना में डीआईसीजीसी का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर पहली बार एक अध्याय शामिल किया गया है। इस अंक में, अन्य बातों के अलावा, डीआईसीजीसी परिचालन के डिजिटलीकरण के प्रति पहल, डीआईसीजीसी सहित जमा बीमाकर्ताओं के प्रत्यासन (सब्रोगेशन) अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के सापेक्ष डीआईसीजीसी का प्रदर्शन कैसा रहा, इन पर भी प्रकाश डाला गया है।

'टीम डीआईसीजीसी' की ओर से सभी पाठकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएँ।

घरेलू गतिविधियां

डीआईसीजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2024-25

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने 03 सितंबर 2025 को निदेशक मंडल की बैठक में वर्ष 2024-25 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट www.dicgc.org.in > मुख्य पृष्ठ > सूचना कोना > प्रकाशन > वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

बोर्ड ने 'डीआईसीजीसी: सेफ्टी नेट' शीर्षक पहली कॉमिक बुक और न्यूज़लेटर 'सेफ्टी नेट' का तीसरा अंक भी जारी किया।

(वार्षिक रिपोर्ट)

(डीआईसीजीसी कॉमिक बुक)

पंजीकृत बैंक

अप्रैल – सितंबर 2025 की अवधि के दौरान, दस शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को विपंजीकृत किया गया, छः का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के कारण और चार का दूसरे यूसीबी के साथ विलय होने के कारण। छब्बीस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को समामेलित कर 11 नए आरआरबी बनाए गए। इस प्रकार, डीआईसीजीसी के साथ जमा बीमा के लिए पंजीकृत बैंकों की संख्या 30 सितंबर 2025 को घटकर 1,957 हो गई (31 मार्च 2025 को यह 1,982 थी)।

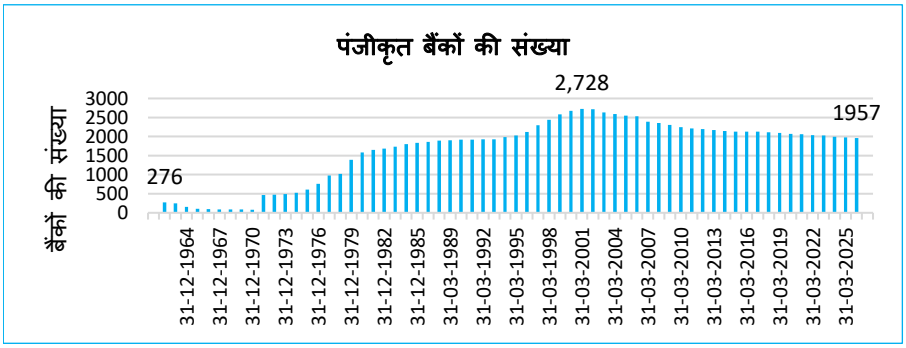

पंजीकृत बैंकों में 124 वाणिज्यिक बैंक और 1,833 सहकारी बैंक शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों में 77 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 11 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 6 भुगतान बैंक (पीबी) और 2 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल हैं। सहकारी बैंकों में 1,447 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल हैं।

जमा बीमा कवरेज

निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशि

कुल निर्धारणीय जमाराशि, अर्थात जमा बीमा के लिए पात्र जमाराशि, सितंबर 2025 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष 11.2 प्रतिशत बढ़कर ₹252.80 लाख करोड़ हो गई, जबकि बीमाकृत जमाराशि 10.1 प्रतिशत की कम दर से बढ़कर ₹106.55 लाख करोड़ हो गई।

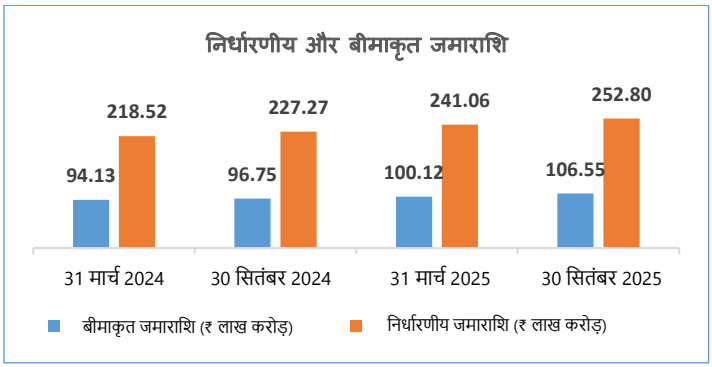

कवरेज अनुपात

₹500,000 की वर्तमान कवरेज सीमा के अंतर्गत, 30 सितंबर 2025 तक पूर्णतः संरक्षित जमा खातों का हिस्सा 97.3% था, जो 2020 से लगातार लगभग 98% बना हुआ है। बीमाकृत जमा अनुपात (कुल निर्धारणीय जमाराशि में बीमाकृत जमाराशि का हिस्सा) 30 सितंबर 2025 तक 42.1% था।

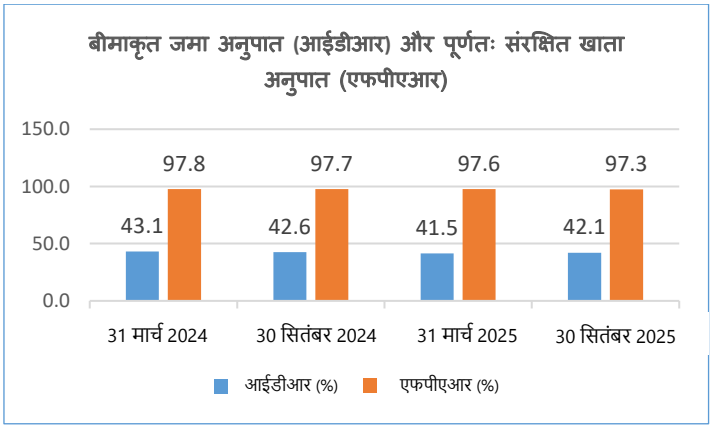

सहकारी बैंकों में पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात 98.1% था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुपात 97.3% था।

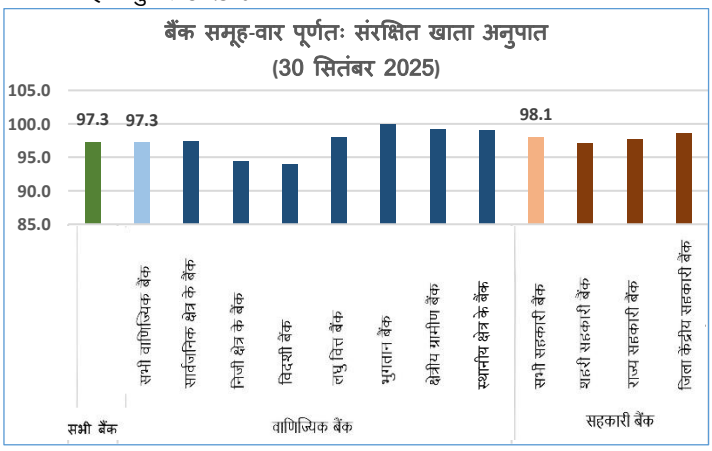

इसी प्रकार, सहकारी बैंकों में बीमाकृत जमा अनुपात 60.7% था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुपात 41.2% था।

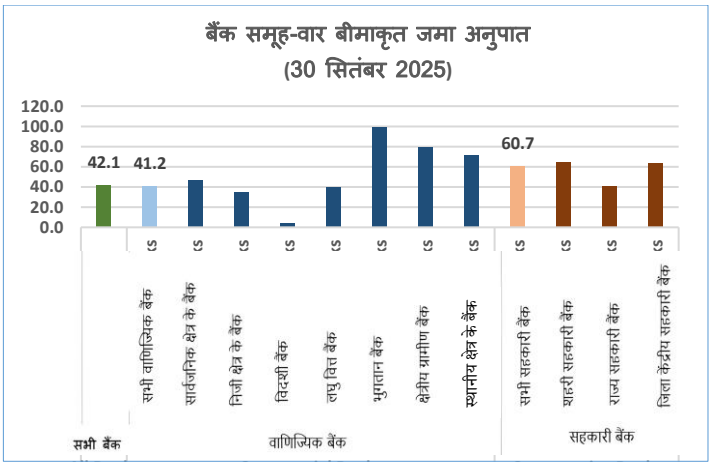

निधियों के स्रोत और उपयोग

प्रीमियम

डीआईसीजीसी बैंकों की कुल निर्धारणीय जमाराशियों पर प्रति वर्ष 0.12% की एक समान दर पर प्रीमियम वसूलता है। वर्ष 2024-25: प्रथम छमाही के दौरान, निगम द्वारा ₹14,382 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया गया।

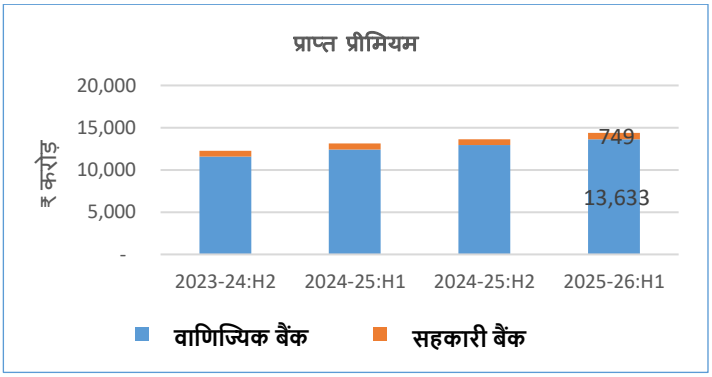

'सम्यक' का शुभारंभ
जमा बीमा प्रीमियम भुगतान एप्लीकेशन

डीआईसीजीसी ने जमा बीमा (डीआई) प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए एक नया एप्लीकेशन (जिसका नाम 'सम्यक' है) डेवलप और लॉन्च किया है। 'सम्यक' एक प्रौद्योगिकी-संचालित एंड-टू-एंड एप्लीकेशन है जिसने बैंकों द्वारा प्रत्येक छमाही में प्रीमियम का भुगतान करते समय अपनाए जाने वाली मौजूदा जटिल और आंशिक रूप से मैनुअल प्रक्रियाओं का स्थान लिया है। पहले की प्रक्रियाओं में डीआई रिटर्न का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, स्कैन किए गए डीआई रिटर्न को अपलोड करना, भुगतान करना और स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट (एसएसी) का प्रस्तुतिकरण शामिल था। चूंकि ऑनलाइन डीआई रिटर्न, दस्तावेज़ और भुगतान अलग-अलग समय पर अलग-अलग चैनलों से प्रस्तुत किए जाते थे, इसलिए डीआईसीजीसी के लिए मिलान में बड़ी चुनौतियाँ आती थीं। 'सम्यक' इन प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है, जिससे सटीक और स्वचालित प्रीमियम गणना, भुगतान गेटवे के ज़रिए प्रीमियम भुगतान और आधार-सक्षम ई-साइनिंग सेवाओं के कारण मिलान आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाती है। इससे विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होता है, जिससे टी+0 निपटान और सीधे एसएसी प्रस्तुतिकरण हो जाता है।

अक्टूबर-मार्च 2026 छमाही के लिए प्रीमियम संग्रहण पूरी तरह से 'सम्यक' के ज़रिए किया गया। 1957 बैंकों द्वारा डीआई प्रस्तुतिकरण वैधानिक समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। *'सम्यक' ने बीमाकृत बैंकों के लिए* अनुपालन आवश्यकताओं *को सरल बनाया है, जिससे मिलान त्रुटियां लगभग समाप्त हो गई हैं और डीआईसीजीसी के लिए वार्षिक रूप से मानव-घंटों में काफी बचत हुई है।*

जमा बीमा निधि (डीआईईएफ)

डीआईएफ, जिसका रखरखाव डीआईसीजीसी द्वारा परिसमापन/समामेलन या सर्व-समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है, 30 सितंबर 2025 को ₹17,359 करोड़ बढ़कर ₹2,46,292 करोड़ हो गया। आरक्षित निधि अनुपात (आरआर), जो बीमाकृत जमाराशियों के लिए डीआईएफ का अनुपात है, बढ़कर 2.31% हो गया।

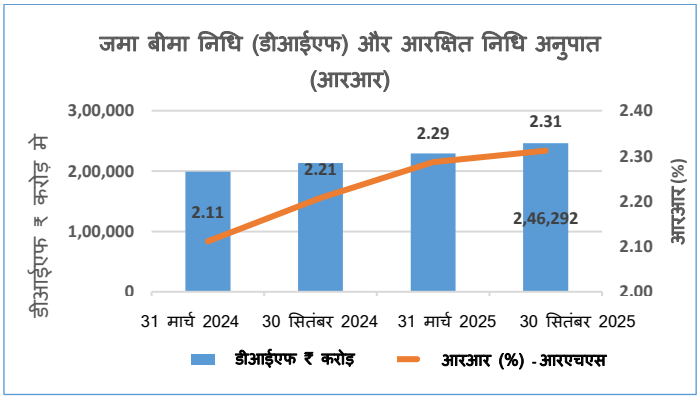

निपटाए गए दावे

2025-26: प्रथम छमाही की अवधि के दौरान, डीआईसीजीसी ने परिसमापन/समामेलन के तहत रखे गए बैंकों के मुख्य दावे और अनुपूरक दावे के लिए ₹518 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया।

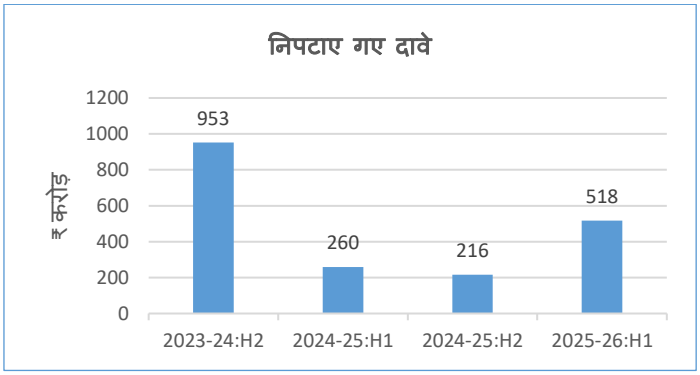

सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लीकेशन का शुभारंभ

डीआईसीजीसी ने अपनी प्रक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बेंचमार्क करने की दिशा में जुलाई 2025 में कुछ चुनिंदा बीमाकृत बैंकों के लिए एक सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। *डीआईसीजीसी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले इस स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में 'समान अधिकार और समान क्षमता' के सिद्धांत के तहत खाता स्तर के डेटा को जमाकर्ता स्तर के डेटा में समेकित करने की सुविधा है। साथ ही, यदि कोई केवाईसी कमी हो तो यह उसकी भी पहचान करता है।* एससीवी एप्लीकेशन और उसका डेटा बैंक में ही रहेगा और डीआईसीजीसी इस एप्लीकेशन के ज़रिए एससीवी डेटा को एकत्र नहीं करेगा। यह एप्लीकेशन एक एरर समरी रिपोर्ट (ईएसआर) जेनरेट करेगा जो प्रोसेस किए गए डेटा *को* समेकित फॉर्मेट में दिखाता है और त्रुटियाँ, यदि कोई हो, को दर्शाता है। ईएसआर को 'सम्यक' पोर्टल पर डीआईसीजीसी को प्रस्तुत किया जाएगा और बैंकों को त्रुटियों के सुधार के संबंध में डीआईसीजीसी द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस प्रकार, यह एप्लीकेशन बैंक स्तर पर केवाईसी डेटा की गुणवत्ता में काफी सुधार करेगा और आईएडीआई के मूल सिद्धांत 15 के संदर्भ में डेटा तैयारी को सक्षम बनाएगा।

वसूली

डीआईसीजीसी को 2025-26 की प्रथम छमाही के दौरान ₹718 करोड़ का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ।

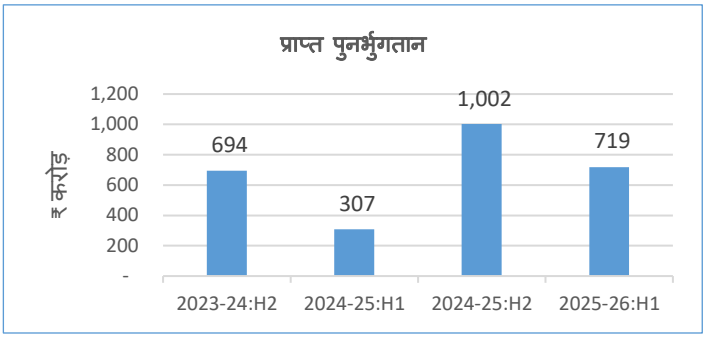

जन जागरूकता: डीआईसीजीसी संचार कार्यनीति और गतिविधियाँ

डीआईसीजीसी की पहली जमाकर्ता जागरूकता और शैक्षिक कॉमिक बुक "डीआईसीजीसी: द सेफ्टी नेट" का विमोचन – 3 सितंबर 2025

निगम ने 3 सितंबर 2025 को पहली जमाकर्ता जागरूकता और शैक्षिक कॉमिक बुक "डीआईसीजीसी: द सेफ्टी नेट" का विमोचन किया। यह अधिकारियों तथा स्टाफ की एक टीम द्वारा तैयार किया गया एक इन-हाऊस क्रिएशन है। इसमें डीआईसीजीसी मैस्कॉट 'डीआईए - द वाइज़ आउल' द्वारा बताई गई सात सरल कहानियाँ हैं जिनमें डीआईसीजीसी की कार्यप्रणाली, डीआईसीजीसी वेबसाइट का उपयोग, सर्व-समावेशी निदेश (एआईडी), परिसमापन, दावा निपटान, "समान अधिकार समान क्षमता" की अवधारणा, दावा सूचक (जमाकर्ताओं के लिए दावा स्थिति ट्रैकर) और दावा इच्छा पोर्टल (एआईडी के तहत बैंकों के जमाकर्ताओं द्वारा सम्मति प्रस्तुत करने के लिए) शामिल हैं । *यह पुस्तक विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए उपयोगी होगी जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं और साथ ही, बैंकों के नए जमाकर्ताओं के लिए भी।*

अपने डीआईसीजीसी को जानें

वसूली प्रबंधन कक्ष (आरएमसी)

डीआईसीजीसी का वसूली प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) परिसमापन/ सर्व-समावेशी निदेश (एआईडी)/समझौते की योजना/व्यवस्था/पुनर्निर्माण/समामेलन के तहत रखे गए बैंकों से दावा भुगतान की वसूली से संबंधित सभी पहलुओं को देखता है।

जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, विलय या समामेलन होता है, या विनियामक निदेश लागू किए जाते हैं, तो डीआईसीजीसी बीमाकृत जमाकर्ताओं को ₹500,000 तक का भुगतान करता है। एक बार जब डीआईसीजीसी जमाकर्ता को भुगतान कर देता है, तो उसे डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के विनियम 22 के साथ पठित धारा 21 के तहत, विफल बैंक की आस्तियों से या बीमाकृत बैंकों से उस राशि को वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। *यह प्रावधान जिसे "सब्रोगेशन" के नाम से जाना जाता है, कानूनी दावे, मांग या अधिकार के संबंध में एक पक्ष (जैसे जमा बीमाकर्ता) का दूसरे पक्ष (जैसे बीमाकृत जमाकर्ता) के लिए कानूनी प्रतिस्थापन है, ताकि जो पक्ष प्रतिस्थापित करता है, वह ऋण या दावे, और उसके अधिकारों और उपायों के संबंध में दूसरे के अधिकारों को प्राप्त कर सके" (आईएडीआई मूल सिद्धांत, 2025)*। प्रत्यासन (सब्रोगेशन) का महत्व मूल सिद्धांत 6, आवश्यक मानदंड 1 में दर्शाया गया है।

डीआईसीजीसी अधिनियम इस अधिकार के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है, जिसे न्यायिक व्याख्या के माध्यम से भी मजबूत किया गया है - विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के रघुपति राघवन निर्णय (2015) में, जिसने जमाकर्ताओं को भुगतान की गई राशि की वसूली में डीआईसीजीसी की प्राथमिकता को समर्थन दिया। यह सिद्धांत केवल भारत तक ही सीमित नहीं है; संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि सहित देश प्रत्यासन (सब्रोगेशन) को प्रभावी जमा बीमा के एक मुख्य तत्व के रूप में मानते हैं। आरएमसी यह सुनिश्चित करता है कि धारा 21 के तहत देय पुनर्भुगतान परिसमापकों या बीमाकृत बैंकों द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से किए जाएं।

आरएमसी चुकौतियों पर नज़र रखता है, परिसमापकों के साथ आगे की कार्यवाही करता है, निधि की उपलब्धता का आकलन करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि डीआईसीजीसी कानून के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान की गई या प्रदान की गई राशि वसूल करे। पुनर्भुगतान की समय-सीमा स्थिति के आधार पर अलग-अलग होती है: एआईडी के तहत रखे गए बैंकों के लिए, डीआईसीजीसी ने पांच समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान निर्धारित किया है; विलय या समामेलन के मामलों में, पुनर्भुगतान की शर्तें मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारित की जाती हैं; और परिसमाप्त बैंकों के लिए, परिसमापक को आस्तियां वसूल होते ही डीआईसीजीसी को पुनर्भुगतान करना होता है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास और आउटरीच

आईएडीआई रिपोर्ट '2025 में जमा बीमा – वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे': कुछ मुख्य बिंदु

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) ने अपना वार्षिक प्रकाशन "2025 में जमा बीमा – वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे" जारी किया (स्रोत: आईएडीआई)। **कुछ मुख्य बातें और डीआईसीजीसी की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:**

अधिदेश

- वैश्विक स्तर पर, पिछले दशक में जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) का अधिदेश लगातार विकसित होता रहा है। प्रतिपूर्ति से परे रेज़ोल्यूशन में अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले डीआई की हिस्सेदारी लगभग 89% है (2014 में 75%)। पेबॉक्स प्लस अधिदेश वाले डीआई बढ़कर 51% (36% से) और रिस्क मिनिमाइज़र बढ़कर 17% (14% से) हो गए है जबकि पेबॉक्स अधिदेश की हिस्सेदारी 25% से घटकर अपने सबसे निम्नतम स्तर पर 11% हो गई है।
- डीआईसीजीसी के पास प्रारंभ से ही पेबॉक्स प्लस अधिदेश है, जिसमें विलय की स्थिति में अंतरिती बैंक को वित्तीय सहायता प्रदान करने की शक्तियां हैं [डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16(2)]। सितंबर 2021 में धारा 18(ए) को सम्मिलित करके इस अधिदेश को और मजबूत किया गया है, जो डीआईसीजीसी को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा व्यावसायिक प्रतिबंधों (जमाराशि के आहरण) के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं को भुगतान करने का आदेश देता है ।

कवरेज

- खाता आधार /जमाकर्ता आधार पर कवरेज अनुपात पिछले दशक में लगभग 98% के साथ लगातार बहुत अधिक रहा है। दूसरी ओर, मूल्य के आधार पर कवरेज अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट के बाद हाल के वर्षों में स्थिरता आई है, जो 2024 में लगभग 48% (2014 में 52%) है।
- मार्च 2025 में भारत का 97.6% का पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात (एफपीएआर) वैश्विक माध्यिका 97.9% के लगभग समान है। भारत के लिए बीमाकृत जमा अनुपात (आईडीआर) 41.5% है, जो वैश्विक माध्यिका के नज़दीक है और अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और कैरिबियाई क्षेत्रों के माध्यिका से अधिक है।

वित्त पोषण

- लगभग 98% डीआई का वित्तपोषण प्रत्याशित होता है। इनमें से, 56% डीआई अलग-अलग प्रीमियम लगाते हैं (2010 में 30%)। जमा बीमाकर्ताओं (डीआई) के बैकअप फंडिंग स्रोत विविध हैं जिसमें 64.5% के पास सरकार और/या केंद्रीय बैंक की बैकअप फंडिंग तक पहुंच है, 30.4% की उधार के माध्यम से निजी बाजारों तक पहुँच है और 28.3% की डेवलपमेंट बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुँच है। जबकि 72.6% सीधे अपने सदस्य संस्थानों से अतिरिक्त फंड प्राप्त कर सकते हैं।
- डीआईसीजीसी के पास एक प्रत्याशित जमा बीमा निधि (डीआईएफ) है जो मुख्य रूप से एक समान दर प्रीमियम सिस्टम द्वारा वित्तपोषित है। सितंबर 2025 के अंत तक भारत का आरक्षित निधि अनुपात 2.31% था, जो एशिया-प्रशांत माध्यिका 1.64% से बेहतर है, हालांकि यह वैश्विक माध्यिका 2.38% से थोड़ा कम है। अक्टूबर 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2026 से 'जोखिम आधारित जमा बीमा प्रीमियम' लागू करने की घोषणा की है।

प्रतिपूर्ति

- जमाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की वैश्विक औसत अवधि 27 दिनों से घटाकर 12 दिन कर दी गई है। सात दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति शुरू करने वाले डीआई का अनुपात दोगुना से भी अधिक बढ़कर लगभग 70% हो गया है (2013 में यह केवल 30% से थोड़ा अधिक था)।
- भारत में प्रतिपूर्ति वैधानिक समय-सीमाओं द्वारा निर्देशित होती है। हालाँकि, सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने की वर्तमान पहल से, यह आशा की जाती है कि दावा प्रसंस्करण समय-सीमा में उल्लेखनीय कमी आएगी।

रेज़ोल्यूशन

- ऐसे डीआई की हिस्सेदारी, जो स्वयं को बैंक रिज़ॉल्यूशन अथॉरिटी मानते हैं, 2024 में बढ़कर 37% (2014 में 25%) हो गई है।
- भारत में, बैंक रिज़ॉल्यूशन शक्तियाँ आरबीआई के पास हैं।

उभरते रुझान

- एक सर्वेक्षण में, जवाबदेह डीआई में से 44% और 28% डीआई ने क्रमशः टेक्नोलॉजी और रेज़ोल्यूशन को जमा बीमा को प्रभावित करने वाले शीर्ष उभरते रुझान के रूप में माना है। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, इनोवेशन (जैसे, फिनटेक, एआई) और सोशल मीडिया से जमा बीमा (85%) पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है। एआई को जन जागरूकता बढ़ाने, जोखिम मूल्यांकन और रेज़ोल्यूशन दक्षता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
- *डीआईसीजीसी ने आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरणों के ज़रिए अपने परिचालन को रूपांतरित करने के लिए कई डिजिटलीकरण पहल शुरू की हैं।* पहला, इसने नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है, जिसमें एआई-आधारित चैटबॉट सहायक (जिसका नाम डीआईए है), एक्सेसिबिलिटी विशेषताएं और बेहतर सूचना संरचना शामिल हैं, ताकि उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। दूसरा, इसके नए प्रीमियम संग्रहण मॉड्यूल (जिसका नाम सम्यक है) ने *आधार*-आधारित ई-साइनिंग, भुगतान गेटवे और रियल-टाइम डैशबोर्ड को समाहित करके बीमाकृत बैंकों से प्रीमियम संग्रहण को काफी हद तक सरल बना दिया है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर हुआ है और मिलान त्रुटियां लगभग शून्य हो गई हैं। तीसरा, दावा निपटान और वसूली प्रबंधन मॉड्यूल (जो अभी रोल आउट किए जा रहे हैं) स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग, केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन, इनबिल्ट भुगतान तंत्र और एनालिटिक्स के ज़रिए इस रूपांतरण को और आगे बढ़ाएंगे, जिससे एक समग्र डिजिटल सिस्टम बनेगा। चौथा, डीआईसीजीसी ने एक दावा स्थिति ट्रैकर (जिसका नाम दावा सूचक है) डेवलप किया है, जो जमाकर्ताओं को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके सीधे अपने दावे की स्थिति पता लगाने में मदद करता है। अंत में, डीआईसीजीसी ने एक सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) एप्लिकेशन का शुभारंभ किया है जो 'समान अधिकार और समान क्षमता' के सिद्धांत के तहत खाता स्तर के डेटा को जमाकर्ता स्तर के डेटा में समेकित करता है और साथ ही, केवाईसी कमियों की पहचान करता है।

मॉरीशस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए सत्र

हाल ही में शामिल मॉरीशस डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडीआईसी) के अनुरोध पर, डीआईसीजीसी ने 12 अगस्त 2025 को एमडीआईसी के बोर्ड सदस्यों और स्टाफ के लिए डीआईसीजीसी के बारे में एक घंटे का वर्चुअल सत्र आयोजित किया। इस सत्र की एमडीआईसी के बोर्ड द्वारा सराहना की गई।

(डीआईसीजीसी इंस्टाग्राम) (डीआईसीजीसी यूट्यूब) (डीआईसीजीसी पब्लिक ऐप)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी) के लिए अनूप कुमार द्वारा संपादित एवं प्रकाशित